बिहार सरकार

समाहरणालय, अररिया।

(जिला पशुपालन कार्यालय, अररिया)

पुर्नः निविदा –सूचना।

वर्ष– 2018–19 में संभावित सुखाड़/बाढ़ पूर्वानुमान के आलोक में अररिया जिला अन्तर्गत संभावित सुखाड़/बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों में पशु राहत शिविर के लिए सूखा पशु चारा/दाना–यथा गेहूँ–भूसा एवं कूट्टी (पुआल/नेवारी) चोकर/चुन्नी के दर/आपूर्तिकर्त्ता के निर्धारण के लिए मुहरबंद–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से दिनांकः– 27.07.2018 तक अपराह्ण 5:00 बजे जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया (पिन कोड–854311) के कार्यालय में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ स्वीकार किया जायेगा। निविदा को जिला पदाधिकारी, के अध्क्षता में जिला आपदा क्रय समिति के द्वारा निविदा प्राप्ति के अगले दिन 3:00 बजे दिन में खोला जायेगा जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामग्री का नामः– सूखा पशु चारा/दाना गेहूँ–भूसा एवं कुट्टी (पुआल/नेवारी) एवं चोकर/चुन्नी

निविदा की शर्त के लिए वेबसाईट– www.ahd.bih.nic.in/ www.araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता हैं। अग्रधन की राशि मो0 5000/–(पॉच हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो अररिया शाखा में भुगतेय होगा जमा करना अनिवार्य हैं। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय, अररिया से प्राप्त की जा सकती हैं।

9.7.18

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

9/7/18

जिला पदाधिकारी
अररिया।

निविदा की शर्तें निम्न हैं:–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का चोकर,गेहूँ का भूसा,पुआल की कुटटी एवं चुन्नी हेतु निविदा अंकित होगा।
2. रूपये 5000/का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के पदनाम से एवं अररिया में देय होगा। असफल निविदा दाता को अग्रधन का ड्राफ्ट उसी समय लौटा दिया जायेगा तथा सफल निविदादाता की राशि को निविदा की अवधि तक रोक कर रखी जायेगी।
3. PAN काड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति।
4. सामग्री का नमूना 200gm पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बंद हो, उसपर नाम, पता, एवं मोबाईल नं0 अंकित हो।
5. निविदादाता या उनके प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
6. निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
7. वित्तिय निविदा में दर साफ–साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ऑवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। चोकर/ गेहूँ का भूसा/पुआल की कुटटी/चुन्नी का दर अलग–अलग अंकित होना चाहिए।
8. सामग्री की आपूर्ति अररिया जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
9. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
10. सफल निविदादाता को 7 दिनों के अन्दर जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया से एक एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्तें तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होगें।
11. सभी अंचलों में निर्देष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होगें।
12. किसी भी स्तर पर निविदा रदद् किया जा सकता है या आवश्यकता नहीं पड़ने पर आपूर्ति आदेश रदद् किया जा सकता है।
13. शर्तों के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमिता, गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जा सकता है।
14. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा।
15. सारी विवाद अररिया न्यायालय के दायरे में होगा।
16. चोकर/ गेहूँ का भूसा/पुआल की कुटटी/चुन्नी के गुणवत्ता में संदेह होने पर गुणवत्ता जॉच कराई जा सकती है।
17. आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित अंचलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा दिया जायेगा जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।
18. भूसा/पुआल/चोकर/चुन्नी में 10 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होगी।
19. नियमानुसार भुगतान पर कर की कटौती की जायेगी।

कमांक	सामग्री	गुणवत्ता
1	गेहूँ का भूसा	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
2	पुआल की कुट्टी	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
3	चोकर (गेहूँ)	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
4	चुन्नी (दल्हन)	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित

9.7.18
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

9/7/18
जिला पदाधिकारी,
अररिया।